उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु पात्रता और महत्वपूर्ण विन्दू

(UP Government Scholarship)

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने के लिए छात्र/छात्राओं का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है और उत्तर प्रदेश राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- सामान्य वर्ग,अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अर्न्तगत आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा के माता–पिता की वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम होना चाहिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अर्न्तगत माता–पिता की वार्षिक आय आय 2.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
- बी0टेक0 में प्रवेश लेने वाले केवल ऐसे छात्र/छात्रा की आवेदन कर सकेगें जिनका प्रवेश काउंन्सिलिंग के माध्यम से हुआ होगा और इण्टरमीडिएट में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित किया हो।
- एम0बी0ए0 और एम0सी0ए0 में प्रवेश लेने वाले केवल ऐसे छात्र/छात्रा ही आवेदन कर सकेगें जिनका प्रवेश काउंन्सिलिंग के माध्यम से हुआ होगा और स्तनातक में 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित कियें होंगे।
- केवल उन्ही कोर्स के छात्र/छात्रा आवेदन कर सकेगें जो कोर्स NBA (National Board of Accreditation) से एक्रीडेटिड होंगे।
- ऐसे छात्र/छात्रा जो **(मुस्लिम, सिक्ख,ईसाई, बौद्ध,पारसी एवं जैन वर्ग से है)** वे Minority के अन्तगर्त आते है वे समाज कल्याण गाजियाबाद या Merit Cum Means (Central Govt.) मे से किसी एक ही योजना के अन्तगर्त लाभाविन्त हो सकते है। **(दोनो मे से किसी एक ही योजना आवेदन करे)**
- किसी भी कोर्स में मैनजमेन्ट कोटे, वेकन्ट कोटे, फी वेबर (Fee Waiver), कश्मीरी माईग्रेन्ट और पी0एम0एस0एस0एस0 (PMSSS) के द्वारा प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा या **अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र/छात्रा उत्तर प्रदेश द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए पात्र नही होगें।**
- आवेदन करने से पहले आवेदक समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर दिये गये लिंग https://scholarship.up.gov.in पर जाकर लागिन कर सम्पूर्ण जानकारी आवश्य प्राप्त कर लें। ताकि आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना न रहे।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हेतु महत्वपूण बिन्दु
(National Scholarship)

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के अर्न्तगत निम्नलिखित छात्रवृत्ति के लिए संस्था के छात्र/छात्रा आवेदन कर सकते हैं।

1) मेरिट–कम–मिन्स छात्रवृत्ति (Merit-Cum-Means) की पात्रता

- मेरिट–कम–मिन्स छात्रवृत्ति के लिए केवल जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाइ, बुद्व और पारसी धर्म के अर्न्तगत आने वाले छात्र/छात्रा ही आवेदन कर सकते हैं जोकि किसी भी तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रम में अध्यनरत हो।

- मेरिट–कम–मिन्स छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए छात्र/छात्रा के पिछली उत्तीर्ण की गई कक्षा में कम से कम 50% अंक अर्जित किया होना चाहिए या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना चाहिए।

- छात्र/छात्रा के माता–पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- किसी भी कोर्स में मैनजमेन्ट कोटे, वेकन्ट कोटे, फी वेवर **(Fee Waiver)**, कशमीरी माईग्रन्ट और पी0एम0एस0एस0एस0 के द्वारा प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा या अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र/छात्रा उत्तर प्रदेश द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

- आवेदन करने से पहले आवेदक National Scholarship Portal की वेबसाइट पर दिये गये लिंक https://scholarships.gov.in पर जाकर लाग्नि कर सम्पूर्ण जानकारी आवश्य प्राप्त कर लें ताकि आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलती होने की संभवना न रहें।

2) छात्रवृत्ति की केन्द्रीय क्षेत्र योजना **(Cetral Sector Scheme of Scholarship)**
CSSS की पात्रता

- CSSS छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा केवल बी0टेक0 प्रथम वर्ष में ही आवेदन कर सकते हैं और इंटर और बी0टेक0 प्रथम वर्ष में गैप नहीं होना चाहिए।
ss
- CSSS छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए छात्र/छात्रा द्वारा इंटरमिडिएट या किसी विशेश बोर्ड की परीक्षा से सम्बन्धित स्टोम में **80%** या उससे अधिक अंक अर्जित किये होने चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय **8** लाख से कम होनी चाहिए।
- छात्र/छात्रा को कोई ओर अन्य छात्रवृत्ति के लिए तो आवेदन नहीं कर रहा या मिल तो नहीं रही ।
- किसी भी कोर्स में मैनजमेन्ट कोटे, वेकन्ट कोटे, फी वेवर **(Fee Waiver)**, कशमीरी माईग्रन्ट और पी0एम0एस0एस0एस0 के द्वारा प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा या अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र/छात्रा उत्तर प्रदेश द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- डिप्लोमा करने वाले छात्र/छात्रा (लेटरल एन्ट्री छात्र/छात्रा) जो सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेते है CSSS छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं ळें
- आवेदन करने से पहले आवेदक पर दिये गये लिंक https://www.buddy4study.com/article/central-sector-scholarship पर जाकर लाग्नि कर सम्पूर्ण जानकारी आवश्य प्राप्त कर लें ताकि आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलती होने की संभवना न रहें।

प्रगति छात्रवृत्ति (PRAGATI SCHOLARSHIP)

प्रगति छात्रवृत्ति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा दी जाने वाली एक सरकारी योजना है।

- प्रगति छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए लड़की उम्मीदवारों को एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित कॉलेज / संस्थान में पढ़ना चाहिए।
- प्रति परिवार दो लड़कियां छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक विवाहित है, तो माता-पिता/ससुराल वालों की आय, जो भी अधिक हो, पर विचार किया जाता है।
- **छात्र/छात्रा द्वारा प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति की जानकारी के लिए दिये गये लिंक पर जाकर** https://www.buddy4study.com/scholarship/aicte-pragati-scholarship-for-girls **लाग्नि कर सम्पूर्ण जानकारी आवश्य प्राप्त करले ह ताकि आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलती की संभवना न रहें।**